राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
E-mail: jdacad1960@gmail.com Ph. 0141-2706550

International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

क्रमांकः एफ.7(4) प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2025-19470-6757218-Part File(3)-7678750 दिनांकः—यथा हस्ताक्षर

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :— प्रवेश नीति सत्र 2025—26 के बिन्दु संख्या 2.2.2 में शिथिलता प्रदान करने के क्रम में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्नातक पार्ट प्रथम में सहशिक्षा महाविद्यालयों में 20 एवं कन्या महाविद्यालयों में 10 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुये और मेरिट लिस्ट जारी की गयी किन्तु मेरिट लिस्ट जारी करने के पश्चात ऑनलाईन/ऑफलाईन फीस जमा कराने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 20 एवं 10 से कम है ऐसे समस्त राजकीय महाविद्यालयों में **प्रवेश नीति सत्र 2025—26 के बिन्दु संख्या 2.2.2 में शिथिलता प्रदान करते हुए सहशिक्षा महाविद्यालयों में कक्षा/विषय में न्यूनतम प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या को 20 के स्थान पर 10 एवं कन्या महाविद्यालयों में न्यूनतम प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या को 10 के स्थान पर 05 की जाती है**।

प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या 10/05 से कम रहने की स्थिति में उस कक्षा/विषय का शिक्षण कार्य वर्तमान सत्र 2025—26 के लिए स्थगित रहेगा तथा 10/05 से कम प्रविष्ट प्रवेशार्थी रहने पर विद्यार्थियों द्वारा अनुरोध करने पर उसी महाविद्यालय के अन्य पाठयक्रम में या उसी पाठयक्रम में अन्यत्र महाविद्यालय में स्थान रिक्त हों तो स्थानान्तरित किया जा सकता है अन्यथा उनका शुल्क लौटाया जाना सुनिश्चित करें।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रवेश प्रक्रिया में हुये विलम्ब के कारण शिक्षण कार्य में आये व्यवधान से कार्य दिवसों की क्षतिपूर्ति के लिए प्राचार्य अपने स्तर पर अतिरिक्त कक्षाऐं लगवाकर अकादमिक सत्र में शैक्षणिक कार्य दिवस पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(प्रो. विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

1. निजी सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।.
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन उप सचिव प्रथम उच्च शिक्षा (ग्रुप—3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. नोडल अधिकारी, ऑनलाईन प्रवेश, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
7. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijay Singh Jat
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)
Designation : Joint Director
Date: 2025.09.19 19:30:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17846527